

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ**

**पीठासीन अधिकारी श्री महेश गगोरिया (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या : 63 / 2024

दायर दिनांक : 10 / 12 / 2024

निर्णय दिनांक : 14 / 10 / 2025

**उनवान**

1. रतनलाल पिता कालूराम गाडरी निवासी झाझरों का खेड़ा तहसील भूपालसागर
2. रामा पिता कुशाल गाडरी निवासी झाझरों का खेड़ा तहसील भूपालसागर

**प्रार्थीगण**

**बनाम**

1. रतनलाल पिता भगवानलाल जाट निवासी झाझरों का खेड़ा तहसील भूपालसागर
2. सुशीला पुत्री जीतू पत्नी अर्जुन जाट निवासी झाझरों का खेड़ा हा.मु. मियाराजी का खेड़ा तह. भूपालसागर
3. कालू पिता सुखा गाडरी निवासी झाझरों का खेड़ा तहसील भूपालसागर
4. गणेशीबाई पत्नी भैरूलाल गाडरी निवासी झाझरों का खेड़ा तहसील भूपालसागर
5. जीतू पिता हजारी गाडरी निवासी झाझरों का खेड़ा तहसील भूपालसागर
6. भैरूलाल पिता जीतू गाडरी निवासी झाझरों का खेड़ा तहसील भूपालसागर
7. हंसराज पिता हजारी गाडरी निवासी झाझरों का खेड़ा तहसील भूपालसागर
8. नोला पिता उंकार गाडरी निवासी झाझरों का खेड़ा तहसील भूपालसागर
9. शंकरलाल पिता वेणीराम गाडरी निवासी झाझरों का खेड़ा तहसील भूपालसागर
10. बाबूलाल पिता वेणीराम गाडरी निवासी झाझरों का खेड़ा तहसील भूपालसागर
11. भैरूलाल पिता उदेराम गाडरी निवासी झाझरों का खेड़ा तहसील भूपालसागर
12. माधूलाल पिता सवाईराम गाडरी निवासी झाझरों का खेड़ा तहसील भूपालसागर
13. रामा पिता सवाईराम गाडरी निवासी झाझरों का खेड़ा तहसील भूपालसागर
14. माधवलाल पिता भैरूलाल गाडरी निवासी झाझरों का खेड़ा तहसील भूपालसागर
15. देवजी पिता चुन्नीलाल गाडरी निवासी झाझरों का खेड़ा तहसील भूपालसागर
16. भैरूलाल पिता लालू गाडरी निवासी झाझरों का खेड़ा तहसील भूपालसागर
17. खेमा पिता गोकल भील निवासी झाझरों का खेड़ा तहसील भूपालसागर

**अप्रार्थीगण**

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956**

**: निर्णय :**

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी की जाने हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया। अप्रार्थीगण सं. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 15, 16 व 17 बाद सूचना उपस्थित नहीं आने से कार्यवाही एकतरफा की गई तथा अप्रार्थी सं. 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14 की ओर से वकील श्री कृष्ण कुमार प्रजापत ने अधिकार पत्र प्रस्तुत कर पत्थरगढी की जाने में कोई आपत्ति नहीं होना बताया। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार प्रार्थीगण रेकार्डेड खातेदार है। अतः प्रार्थना पत्र व रेकार्ड के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी का स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार भूपालसागर को 500- रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि ग्राम झाझरों का खेड़ा के खाता सं. 78 की आ.सं. 196, 197, 198, 199, 216, 219, 226, 227, 228, 238, 243, 464/160, 165/100, 85 किता 14 रकबा 3.90 है। भूमि में उभयपक्षकारान को जरिये समन नोटिस तलब करवाकर अपने नेतृत्व में सीमांकन की टीम गठित कर चारों दिशाओं की पुरख्ता पत्थरगढी की कार्यवाही करे। अगर मौके पर कोई विवाद न हो अथवा मौके पर फसल खड़ी न हो तो ही पत्थरगढी की जावे एवं कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट पेश करे। कमिश्नर फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करे साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि किसी भी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं हो। इस आशय बाबत तहरीर जारी हो। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.10.2025 को खुले न्यायालय में सुनवाया गया।



सहायक (सि.के.न.ब.य.सि.डी.)  
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर  
उपखण्ड अधिकारी,  
भूपालसागर

